FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....भरतपुर.....
.....दीपी.....बनाम.....नारायण.....किस्म मुकदमा.....225.....नम्बर.....83.....सन.....2011

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 08.03.2018 | वकील अपीलाण्ट उपस्थित। बार–बार आवाज लगाये जाने के बाबजूद भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित आयें। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।<br><br>वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय को सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्योंकि विवादित भूमि धारा 5 (24) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भूमि की संज्ञा में नहीं आती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण शून्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि अपीलाण्ट के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आबादी भूमि है जिसमें अपीलाण्ट के मकानात व नौहरे आदि बने हुये हैं, जो 50 वर्षो से अधिक से निरन्तर अपीलाण्ट के आबादी के काम आ रही है। रैस्पो0 का विवादित भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावें।<br><br>हमने गौर किया। अपीलाण्ट द्वारा अन्तरिम आदेश की अपील प्रस्तुत की गयी है। साधारणतः अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील संधारणीय नहीं है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2011 का है, जो दिनांक 15.07.2011 तक प्रभावी था। दिनांक 15.07.2011 को अधीनस्थ न्यायालय में क्या कार्यवाही हुई, पूछे जाने पर योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट कुछ नहीं बता पाये हैं। इसके अतिरिक्त हस्तगत अपील दिनांक 01.08.2011 को इस न्यायालय में पेश हुई है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके आदेश दिनांक 02.06.2011 के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना ग्राह्य नहीं है।<br><br>अतः अपील संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुन कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विधि अनुरूप अधिकतम एक माह में निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हों।<br><br>निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।<br><br>सत्यमेव जयते<br>Web Copy - Not Official<br><br>(अनिल कुमार वार्ष्णेय)<br>भू प्रबन्ध अधिकारी<br>पदेन<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>भरतपुर | |